तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रा० क्र० 712 RTA 79/18 आदित्य बनाम पूरन
06/10/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर दिनांक 13/11/18 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को पूरन वगै. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 14/12/2018 तक कि आराजी ख० नं० 188/0.39, 466/0.38, 502/0.40, 538/0.70, 709/0.57, 711/0.37 वाके ग्राम पमरोड़ा तह० नगर पर रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करें, मजाहमत मदाखलत नहीं करें, जोतने बोने से नहीं रोकें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रवृत्त रही। समस्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 07.03.2022 को की गई। प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन में कहा कि पोता ने अपने दादा की पैतृक आराजी की बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया है एवं पैतृक आराजी का रिकॉर्ड लगभग है। गैरसायलान उक्त आराजी को बेचने की धमकी देते हैं। प्रार्थीगण नाबालिग होने के कारण उनकी माता को वली सरपरस्त [illegible] तक की वाद निस्तारण तक [illegible] पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों पर विचार किया गया। इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि— प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र से यह स्पष्ट नहीं

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2024.10.05
Reason: SelfAttes

P.O.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदित्य बनाम पूरन प्रा.पत्र 212 RTA 79/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कर पाया है कि आराजी पैतृक आराजी किस प्रकार है अर्थात इस आशय का कोई साक्ष्य नही है कि रामस्वरूप से पूरनसिंह को किस प्रकार आराजी प्राप्त हुई है। पूरनसिंह से होशियार सिंह के संबंध को भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया साबित नही किया गया है। तथा किसी के संबंध मे बाधा माना अन्तोष भी स्पष्ट नही है। अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 13/11/18 को जारी रखना न्यायालय न्यायोचित नही समझता है। अतः ~~[illegible]~~ प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर दिनांक 13/11/18 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (सुरेन्द्र प्रसाद) उप खण्ड अधिकारी [illegible] (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Hari
Date: 2024.10.05 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested